भारत मेहता

बनाम

राज्य जरिये पुलिस निरीक्षक चेन्नई

(आपराधिक अपील संख्या 549 सन् 2008)

मार्च 25, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी- सताशिवम जे.जे.)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

धारा 451 और 457- वित्तपोषक के पक्ष में वाहन को छोड़नाः करना अवधारित किया गया है कि खरीद अनुबन्ध में वित्तपोषक को मालिक के रूप में वर्णित किया गया है। वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में भी वित्तपोषक का नाम दर्शाया गया है। किरायेदार रिहाई आदेश की पालना करने में विफल रहा है इसलिए वाहन को समान शर्तों पर जो किरायेदार पर अधिरा ेपित थी, वित्तपोषक के पक्ष में छोड़ा जाए।

प्रश्नगत वाहन लॉरी जो किराया खरीद अनुबन्ध पर ली गई थी, किरायेदार अप्रार्थी सं. 2 एवं अपीलार्थी/वित्तपोषक के मध्य किराया क्रय अनुबन्ध के अधीन थी। इसके बाद उक्त लॉरी को तमिलनाडु निषेध अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया था बाद में अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में छोड़े जाने का आदेश हुआ लेकिन अप्रार्थी सं. 2 ने रिहाई आदेश की शर्तों का पालन नहीं किया। इसके बाद, अपीलार्थी/वित्तपोषक ने धारा

451 एवं 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि किराया में खरीद अनुबन्ध में अपीलार्थी/वित्तपोषक वाहन मालिक के रूप में वर्णित था। इस तरह वह वाहन के कब्जे का हकदार है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका में कहा कि चूंकि अप्रार्थी सं. 2 वाहन के मालिक के रूप में पंजीकृत किया गया था और अपीलार्थी केवल वित्तपोषक था। वाहन को उसके पक्ष में छोड़ा नहीं जा सकता। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी/वित्तपोषक ने यह अपील पेश की।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने यह अवधारित किया किः निर्विवादित रूप से, वित्तपोषक का नाम वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र में दर्शित है और यह तथ्य भी माना है कि वाहन इस तरह के अनुबन्ध के अधीन था। अनुबन्ध में, अपीलकर्ता को मालिक स्वामी और अप्रार्थी सं. 2 को किरायेदार के रूप में वर्णित किया गया है। अप्रार्थी सं. 2 ने आवेदन किया था और उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों पर वाहन को छोड़े जाने का निर्देश दिया गया था। निर्विवादित रूप से उन शर्तों को पूरा नहीं किया गया। इसलिए, उक्त वाहन लगभग आठ वर्षों से वाहन जब्त करने वाले प्राधिकारियों के पास पड़ा हुआ है। तथ्यात्मक परिस्थिति को देखते हुए वाहन को अपीलकर्ता के पक्ष में उन शर्तों को, जो अप्रार्थी सं. 2 के लिए निर्धारित की गई थी, को पूरा करने के अधीन छोड़ने का निर्देश दिया जाता है।

चरणजीत सिंह चड्डा बनाम सुधीर मेहता (2001) 7 एस.सी.सी 417 एवं सुंदरभाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य (2002)10 एस.सी.सी. 283 का अनुसरण किया गया।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार- आपराधिक अपील सं. 549 सन् 2008

मद्रास उच्च न्यायालय के आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सं. 267/2004 में अंतिम निर्णय दिनांक 25.11.2004 से।

अपीलार्थी की ओर से सिद्वार्थ दवे और सेंथिल जगदीशन, वी. जी. प्रगासम।

प्रतिवादी की ओर से एस. जे. अरेसीटोली और प्रबुर्मा सुब्रमणयन।

न्यायालय का यह निर्णय डॉ॰ अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इस अपील में मद्रास उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा याचिका को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, पोन्नेरी की अदालत ने सी. एम. पी. सं. 7255/2003 में आदेश दिनांक 22.12.2003 से धारा 451 और 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।

(2008) 5 एस.सी.आर. में यह अवधारित किया गया है कि-आवेदन वाहन पंजीयन सं. टी.एन.01-एफ-9797 वाली लॉरी की रिहाई के लिए दायर किया गया था, जिस पर तमिलनाडु मद्य निषेध अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज मामले में संलिप्त होने का आरोप लगाया था। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का मामला यह था कि किराया खरीद अनुबन्ध के तहत उक्त लॉरी खरीदने के लिए प्रत्यर्थी सं. 2 को धन प्रदान किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार, किराये पर लेने वाले को 32 मासिक किश्तें देनी होगी। दिनांक 24.06.2000 से 24.01.2003 की अवधि के बीच 14,875/- रूपये किराया कानून के तहत, किराये पर

लेने वाला पूरी देय राशि का भुगतान करने के बाद वाहन खरीदने के विकल्प का उपयोग करके वाहन का किरायेदार,मालिक बन सकता है और उस समय तक वित्तपोषक मालिक होता है। वित्तपोषक भी वाहन के मालिक होने का हकदार है क्योंकि वह मालिक है। अनुबन्ध में, अपीलार्थी/अपीलकर्ता को मालिक और अप्रार्थी सं. 2 को किरायेदार के रूप में वर्णित किया गया है। अपीलार्थी/अपीलकर्ता ने एक मालिक के रूप में वाहन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन वाहन परिसर में उपलब्ध नहीं था और पूछताछ करने पर अपीलार्थी/अपीलकर्ता को पता चला कि पुलिस ने दिनांक 06-09-2000 को इसे जब्त कर लिया था। जब वाहन फर्जी नंबर प्लेट के साथ प्रतिबंधित मद्य का परिवहन किया जा रहा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट अप्रार्थी सं. 2 के खिलाफ दर्ज की गई थी इसलिए, अपीलकर्ता ने वाहन को छोड़ने के लिए प्रार्थना की। राज्य द्वारा प्रार्थना पत्र का इस आधार पर विरोध किया कि वाहन को पहले ही अप्रार्थी सं. 2 को वापस लौटाने का निर्देश दिया जा चुका था क्योंकि वह वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार मालिक था।

3. उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि वाहन रेक्टीफाईड स्पिरिट रूल्स के अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) एवं 4(1) (एएए) सपठित नियम 5 एवं 6 के तहत दंडनीय अपराधों में संलिप्त था। उच्च न्यायालय ने यह भी अवधारित किया कि हालांकि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में वाहन को छोड़ने का आदेश पारित दिनांक 23.01.2001 को पारित किया गया था लेकिन उसने उक्त वाहन को अपनी अभिरक्षा में नहीं लिया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि चूंकि अप्रार्थी सं. 2 वाहन के मालिक के रूप में पंजीकृत था और अपीलार्थी/अपीलकर्ता केवल वित्तपोषक था। इसलिए वाहन को अपीलार्थी/अपीलकर्ता की प्रार्थना के अनुसार रिहा नहीं किया जा सकता था तद्नुसार जैसा कि उपर बताया गया है, आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से इस आशय का पृष्ठांकन है कि वाहन किराया खरीद अनुबन्ध के तहत खरीदा गया/किराये पर लिया गया था। यह भी स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित था कि किरायेदार ने शुभम क्रेडिट के प्रतिनिधि से किराया खरीद अनुबन्ध किया था।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि अप्रार्थी सं. 2 को आदेश के तहत अनुमति दी गई थी कि वह वाहन को 1,00,000/- रूपये के बॉन्ड के साथ इतनी ही राशि की दो जमानत और अन्य शर्तों के साथ रिहा करा देवें कि वाहन में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं करें तथा और जब भी विचारण न्यायालय द्वारा जरूरत/आवश्यकता हो वाहन को पेश करें, लेकिन उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं की गई।

6. अप्रार्थी सं. 2 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने किराया खरीद अनुबन्ध के सम्बन्ध में चरणजीत सिंह चड्डा बनाम सुधीर मेहता (2001) 7 एस. सी. सी. 417 पृष्ठ 421 के पैरा 5 में यह माना है कि- पैरा 5- किराया खरीद अनुबन्ध निष्पादन अनुबन्ध है जिसके तहत सामान किराये पर दिया जाता है और किरायेदार के पास अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार खरीदने का विकल्प होता है। इस प्रकार के अनुबन्ध मूल रूप से डीलर एवं ग्राहक के बीच किए गए थे और डीलर ग्राहक को ऋण देता था। लेकिन जैसे-जैसे किराया खरीद योजना की लोकप्रियता और आकार बढ़ा जिन डीलरों के पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी नहीं थी, उन्हें कई ग्राहकों तक योजना का विस्तार करना मुश्किल हो गया। फिर वित्तपोषक आये, वित्तीय कंपनी डीलर से सामान खरीदेगी और किराया खरीद

अनुबन्ध के तहत ग्राहक को देगी। डीलर ग्राहक को सामान वितरित करेगा जो फिर लेन देन से बाहर हो जाएगा और वित्त कंपनी को सीधे ग्राहक से किश्तें लेने के लिए छोड़ देगी। किराया खरीद अनुबन्ध के तहत किराये पर लेने वाला किरायेदार केवल सामान के उपयोग और विकल्प के लिए भुगतान कर रहा है, उन्हें खरीदने के लिए वित्तशुल्क जो नकद मूल्य और किराया खरीद मूल्य के बीच अन्तर का प्रतिनिधित्व करता है न कि ब्याज का, बल्कि एक राशि का प्रतिनिधित्व करता है जिसे किरायेदार को किश्तों में माल की खरीद मूल्य का भुगतान करने की अनुमति के विशेषाधिकार के लिए भुगतान करना पड़ता है।

6. हालांकि भारत में, संसद ने किराया खरीद अधिनियम, 1972 में पारित कर दिया था, लेकिन इसे अब तक केन्द्र सरकार द्वारा अधिकारिक रूप से राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है। एक प्रारम्भिक अधिसूचना जारी की गई और बाद में उसे वापस ले लिया गया। किराया खरीद अनुबन्ध सम्बन्धित नियम उच्च न्यायालयों के निर्णयों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस न्यायालय नियमों की एक श्रृंखला है जो किराया खरीद अनुबन्ध की प्रकृति को समझाती है और अधिकतर में निर्णय तब दिये गये थे जब यह सवाल उठा था कि क्या बिक्री हुई थी ताकि बिक्रीकर अधिनियम के तहत कर का भुगतान किया जा सकें।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दामोर घाटी निगम बनाम बिहार राज्य में ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 440 में यह मत/विचार व्यक्त किया है कि केवल किराये से लेने के अनुबन्ध, जमानत के अनुबन्ध का एक प्रकार है जो जमानतदार को स्वामित्व का अधिकारी नहीं बनाता है, बल्कि किराये का कानून बनाता है। पिछली आधी शताब्दी या उससे अधिक के दौरान किराया खरीद में काफी विकास हुआ है और इसमें कई

विविधताऐं शामिल है। इस प्रकार की श्रेणियां सामने आई है और यह कुछ सूक्ष्मता का प्रश्न बन जाता है कि पक्षकारों के बीच एक विशेष अनुबन्ध किस श्रेणी में आता है। आम तौर पर किराया खरीद का अनुबन्ध किराये पर लेने वाले को कोई स्वामित्व नहीं देता है बल्कि कुछ शर्तों को पूरा करने पर खरीद का एक विकल्प मात्र होता है। लेकिन एक अनुबन्ध किराया खरीद में आस्थगित भुगतान द्वारा किराये पर ली गई वस्तु को खरीदने के अनुबन्ध का भी प्रावधान हो सकता है बशर्त कि वस्तु का स्वामित्व तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि सभी किश्तों का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। पक्षकारों के बीच सहमत शर्तों के आधार पर किराया खरीद के अनुबन्ध में अन्य भिन्नताऐं भी हो सकती है। जब तृतीय पक्ष के अधिकार और दायित्व पक्षकारों के कृत्यों या मूल अनुबन्ध के पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को प्रवर्तन द्वारा बनाए गए हो।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जौहर एण्ड कंपनी बनाम सी. टी. ओ. (एआईआर 1965 एस.सी 1082) में यह विचार व्यक्त किये थे कि किराया खरीद अनुबन्ध में दो तत्व होते है। (1) जमानत का तत्व और (2) बिक्री का तत्व अर्थात् इस अर्थ में यह अंतिम बिक्री पर विचार करता है। बिक्री का तत्व तब फलित होता है जब अनुबन्ध की शर्तों को पूरा करने के बाद इच्छुक खरीददार द्वारा खरीदने के विकल्प का प्रयोग किया जाता है। जब अनुबन्ध की सभी शर्तें पूरी हो जाती है और विकल्प का प्रयोग किया जाता है तब उस Goods का विक्रय होता है जो तब तक किराये पर लिया गया था।

8. धारा 451 दण्ड प्रक्रिया संहिता का क्षैत्र व सीमा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2002 (10) एस. सी. सी. 283

में तय की गई थी।

9. निर्विवाद रूप से, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में वित्तपोषक का नाम दर्शाया गया है और यह तथ्य भी उल्लेखित है कि वाहन इस तरह अनुबन्ध के अधीन था। अनुबन्ध में, अपीलकर्ता को स्वामी के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन अप्रार्थी सं. 2 को किरायेदार के रूप में वर्णित किया गया है। अप्रार्थी सं. 2 ने वाहन को छोड़े जाने के लिए आवेदन किया था और उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों पर वाहन को छोड़ने के निर्देश दिये थे। निर्विवादित रूप से, अप्रार्थी सं. 2 ने उन शर्तों को पूरा नहीं किया गया। इसलिए, वाहन लगभग 8 वर्षों से जब्त करने वाले प्राधिकारियों के पास पड़ा हुआ है। उपरोक्त वर्णित तथ्यात्मक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अप्रार्थी सं. 2 के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन अपीलकर्ता/वित्तपोषक के पक्ष में वाहन को छोड़ने के निर्देश देते है।

10. यह अपील उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नाहर सिंह मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।